

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/10185

प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक - 31-12-25

अप्रार्थीगण

चूनाराम 2 मोहनलाल 3 राणाराम  
सुरान पूंजाराम 4 पारु देवी  
मत्ति पूंजाराम जाति मेघवाल  
निवासी मातासर तहसील बाड़मेर  
ग्रामीण जिला बाड़मेर।

1 हीराराम पुत्र जोधाराम वगैराह जाति सुथार  
निवासी मातासर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला  
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :-493/2025

दिनांक-23/12/2025

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मातासर पटवार हल्का भूरटिया तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खसरा संख्या 808 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा संख्या 863/811 रकबा 4.6377 हैक्टेयर, खसरा संख्या 912/781 रकबा 1.7968 हैक्टेयर, खसरा संख्या 917/811 रकबा 0.1700 हैक्टेयर व खसरा संख्या 915/781 रकबा 0.2104 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर

दिनांक- 31-12-25

क्रमांक :- रीडर/2025/10186-10189

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भूरटिया तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी चूनाराम पुत्र पूंजाराम जाति मेघवाल निवासी मातासर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण हीराराम पुत्र जोधाराम वगैराह जाति सुथार निवासी मातासर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,  
उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर